

समाजिक अधिकारी, मध्यपुरा

(जिला शस्त्र थाना)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मध्यपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञापिताधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने तथा बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.203 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। वैसरिक व्याय के तहत छोटे हुए अनुज्ञापिताधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुबः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके बावजूद श्री छेदीराम सुल्तानियाँ पे० श्री खेमचन्द्र सुल्तानियाँ सा० पुरैनी थाना पुरैनी जिला मध्यपुरा द्वारा शस्त्र अनुज्ञापित का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा समर्पित नहीं किया गया, जिस काशन इस कार्यालय के ज्ञापांक 255/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र वियावली-1962 के वियम-63 एवं अनुज्ञापित की शर्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके बाम से विर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञापित सं०-१७(पुरैनी थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञापिताधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञापिताधारी द्वारा स्पष्टीकरण अब तक समर्पित नहीं किया गया है और वही अपना कोई पक्ष रखा गया है। इष्ट है कि अनुज्ञापिताधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक राम आम चुनाव-2014 को मदरेजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मध्यपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञापिताधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, पुरैनी के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 134 दिनांक 19-03-14 के अंचलोकन से ज्ञात होता है कि श्री छेदीराम सुल्तानियाँ द्वारा पुबः भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इस तरह अनुज्ञापिताधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। थानाध्यक्ष, पुरैनी ने अपने पत्रांक 286/14 दिनांक 22.03.14 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अनुज्ञापिताधारी 15-16 वर्षों से मुम्बई में रहते हैं। इवका शस्त्र बिकी हो चुका है एवं वर्तमान में अनुज्ञापित शस्त्र विहीन है। ऐसी स्थिति में इवकी अनुज्ञापित को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतएव थानाध्यक्ष, पुरैनी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17(3) के अव्वर्गत श्री छेदीराम सुल्तानियाँ पे० श्री खेमचन्द्र सुल्तानियाँ सा० पुरैनी थाना पुरैनी जिला मध्यपुरा के बाम से विर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञापित सं०-१७(पुरैनी थाना) को तत्कालिक प्रभाव से “रद्द” किया जाता है। उक्त आदेश का तागिला थानाध्यक्ष, पुरैनी अपने रुठर रो भी अनुज्ञापिताधारी को करायेंगे एवं उनके पारितारिक अव्य सदस्यागण से अनुज्ञापिताधारी के रहनेवाले स्थान का पूरा पता प्राप्त कर शीघ्र संरूपित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, नाम्पुरा को विदेश दिया जाता है कि वे कार्यालय में संघारित अनुज्ञापित पंजी में “रद्द” प्रवृद्धि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे। गूल अनुज्ञापि पुरत प्राप्त होने पर उसमें भी इस आशय की सूचना प्रवृद्धि कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

४/—

जिला दंडाधिकारी,

मध्यपुरा।

ज्ञापांक 229 विधि, मध्यपुरा, दिनांक 22-4-१५

प्रतिलिपि : पुलिस अधीकार, मध्यपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगेंज, जिला सूचना एवं जक्षन्यर्क पदाधिकारी, मध्यपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, गधेपुरा/ थानाध्यक्ष, पुरैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री छेदीराम सुल्तानियाँ पे० श्री खेमचन्द्र सुल्तानियाँ सा० पुरैनी थाना पुरैनी जिला मध्यपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालगार्थ प्रेषित।

१  
22/४/१५

जिला दंडाधिकारी,

मध्यपुरा।